

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 4.9.15

संख्या- 3/एल-6-1-07/2015- 366(3) /स्वा0, डा0 मकेश्वर प्रसाद चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोल्डेनगंज, सारण, छपरा को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-74(बी0)-सह-पठित वित्त विभागीय पत्रांक 6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में उनके द्वारा याचित तिथि (दिनांक 01.09.2015) से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि उनकी कोई सेवावधि अविनियमित रहेगी तो उस अवधि को सेवा में टूट माना जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / -
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3/एल-6-1-07/2015- 366(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 4.9.15
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, सारण, छपरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोल्डेनगंज, सारण, छपरा/डा0 मकेश्वर प्रसाद चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोल्डेनगंज, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3 एवं 9 को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव
वरम